1	2
12.09.25	अभिभाषकगण उपस्थित। वादी के अधिवक्ता द्वारा साक्षी के बीमार होने से गवाही हेतु अवसर दिये जाने का निवेदन किया गया। जिसे उभय-पक्ष की सहमति से स्वीकार कर पत्रावली उभय-पक्ष के निवेदन पर 15.09.25 को नियत की जाती है। वादीगण द्वारा साक्षी को आवश्यक रूप से उपस्थित रखा जावे एवं अधिवक्ता प्रतिवादीगण [illegible] से उपस्थित होकर साक्षी की परीक्षा किया जावे।

अपर जिला न्यायाधीश
फतेहपुर-शेखावाटी (सीकर) राज.